

RVNL/SECY/STEX/2021**30th June, 2021**

BSE Limited 1st Floor, New Trade Wing, Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Fort, Mumbai-400001 Scrip Code: 542649	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051 Scrip Code: RVNL
--	---

Sub: Publication of Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the quarter and year ended 31st March, 2021

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached a copy of audited financial results (Standalone & Consolidated) of RVNL for the quarter and year ended 31st March, 2021, as published in Newspapers (English & Hindi).

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Rail Vikas Nigam Limited**

kalpana
dubey

(Kalpana Dubey)

Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. F7396

Digitally signed by kalpana
dubey
Date: 2021.06.30 15:44:47
+05'30'

Encl: As above

कोविशील्ड की खुराक में लंबे अंतराल से फायदा

दोनों टीके में 11 महीने के अंतराल पर बेहतर प्रतिरक्षा क्षमता

नई दिल्ली, 29 जून (भाषा)।

कोविशील्ड का कोविड-19 रोधी टीका 45 हफ्तों के लंबे अंतराल पर दिए जाने पर बेहतर प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न करता है। वहीं, इसकी तीसरी खुराक एंटीबॉडी को और अधिक बढ़ा देगी। ब्रिटेन में किए गए एक अध्ययन में यह दावा किया गया है। अध्ययन के मुताबिक कोविशील्ड टीका, उसकी एकमात्र खुराक के बाद भी कम से कम एक साल तक एंटीबॉडी स्तर बना रहता है। भारत में इसकी दो खुराक के बीच 12 से 16 हफ्ते का अंतराल रखा गया है।

अध्ययन के लेखकों ने इस बात का जिफ़्र किया कि कोविशील्ड टीके की पहली और दूसरी खुराक के बीच 45 हफ्तों या 11 महीने का विस्तारित अंतराल रखे जाने पर दूसरी खुराक के 28 दिन बाद मापे गए एंटीबॉडी स्तर में 18 गुना की वृद्धि दर्ज की गई। यह अध्ययन सोमवार के द लांसेट के प्री-प्रिंट सर्वर में पोस्ट किया गया है। अध्ययन में 18 से 55 साल की आयु के

ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के

अनुसंधानकर्ताओं ने यह अध्ययन किया। उन्होंने पहली और दूसरी खुराक के बीच विस्तारित अंतराल और बाद में एक खुराक देने के बाद प्रतिरक्षा क्षमता का आकलन किया। अध्ययन के मुताबिक पहली और दूसरी खुराक के बीच 45 हफ्तों का अंतराल रखे जाने पर एंटीबॉडी का स्तर 12 हफ्तों के अंतराल पर दी गई खुराक से चार गुना अधिक था।

स्वयंसेवियों को शामिल किया गया। उन्हें कोविशील्ड की एक खुराक या दो खुराक दी गई थी।

ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने यह अध्ययन किया। उन्होंने पहली और दूसरी खुराक के बीच विस्तारित अंतराल और बाद में एक खुराक देने के बाद प्रतिरक्षा क्षमता का आकलन किया। अध्ययन के

मुताबिक पहली और दूसरी खुराक के बीच 45 हफ्तों का अंतराल रखे जाने पर एंटीबॉडी का स्तर 12 हफ्तों के अंतराल पर दी गई खुराक से चार गुना अधिक था। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि अध्ययन से यह प्रदिंशत होता है कि दो खुराक के बीच लंबा अंतराल रखने से मजबूत प्रतिरक्षा विकसित होती है।

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड टीका समूह के निदेशक एंड्रयू जे पोलार्ड ने कहा, ‘टीके की कम आपूर्ति वाले देशों के लिए यह एक आश्चर्य करने वाली खबर होनी चाहिए’। पोलार्ड ने एक बयान में कहा, ‘पहली खुराक के 10 महीने के अंतराल पर दूसरी खुराक दिए जाने पर शानदार नतीजे देखने को मिले।’ अनुसंधानकर्ताओं ने उल्लेख किया कि कुछ देश भविष्य में तीसरी ‘बूस्टर’ खुराक देने पर विचार कर रहे हैं। अध्ययन के नतीजों के मुताबिक कोविड-19 के अल्फा, बीटा और डेल्टा स्वरूपों के खिलाफ तीसरी खुराक का अत्यधिक प्रभावकारी असर देखने को मिला है।

कोरोना की दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है : हर्षवर्धन

हर हाल में कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन जरूरी

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 29 जून।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि काफी दिनों बाद देश में 40 हजार से कम कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में भी अभी 37 हजार मामले दर्ज किए जा रहे हैं और यह लहर अभी समाप्त नहीं हुई। ऐसे में लापरवाही करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें लगातार कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाने रहना है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि आज कोरोना विषाणु संक्रमण रोधी टीके की देश में 33 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। दिल्ली में जलजनित रोगों की रोकथाम को लेकर की गई समीक्षा बैठक के बाद हर्षवर्धन मीडिया से बात कर रहे थे।

इससे पहले इस बैठक में हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली से मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य 2020 रखा गया था, जिसे बढ़ा कर 2022 तय किया गया है। यह लक्ष्य कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मलेरिया के उन्मूलन में हमें पोलियो और चेचक

के उन्मूलन तथा कोविड के खिलाफ जंग का अनुभव सहायक सिद्ध होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली मलेरिया के उन्मूलन की दृष्टि से लेवल-1 श्रेणी के राज्यों में शामिल है। उन्होंने बैठक में भाग ले रहे सभी अधिकारियों को आशा का संदेश देते हुए बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तीन वर्ष की मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार इस रोग के अधिक मामले वाले 11 देशों में भारत का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। उन्होंने बताया कि बीमारी और मृत्यु में 83 फीसद कमी आई है। उन्होंने कहा कि मलेरिया और डेंगू को सूचनीय बनाए जाने के मामले में दिल्ली सरकार को कार्रवाई करनी है।

उन्होंने दिल्ली सरकार से अनुरोध किया कि वह मलेरिया और डेंगू को सूचनीय घोषित करे, ताकि प्रत्येक मरीज पर निगरानी रखकर मलेरिया उन्मूलन के कार्य को आसान बनाया जा सके। इन दोनों रोगों को सूचनीय बनाए जाने से प्रत्येक मामले की सरकार को सूचना देना अनिवार्य हो जाएगा। इस बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल अलित बैजल, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली के तीनों नगर निगमों के महापौर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्युअल रूप से भाग लिया।

मुंबई फर्जी टीकाकरण मामले में डॉक्टर ने किया समर्पण

मुंबई, 29 जून (भाषा)।

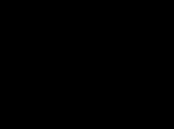
मुंबई के कांदिवली पुलिस थाने में दर्ज, ‘फर्जी’ टीकाकरण के मामले में वांछित एक डॉक्टर ने मंगलवार को पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इससे एक दिन पहले सत्र

अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

पुलिस उपायुक्त विशाल ठाकुर ने बताया कि अपराध में डॉ मनीष त्रिपाठी की संलिप्तता की पुष्टि होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कांदिवली में स्थित एक आवासीय परिसर में पिछले महीने चलाए गए ‘फर्जी’ टीकाकरण की

घटना में आरोपी छह लोगों में से एक त्रिपाठी है। पुलिस इस मामले में पहले ही छह लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अधिकारी ने बताया कि दोषधर को डॉ त्रिपाठी कांदिवली पुलिस थाने पहुंचा और समर्पण कर दिया। उन्होंने बताया कि मामले की छानबीन अब विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है।

 टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड	
सीआईएन: L92200DL1999PLC103001, वेबसाइट: www.aajtak.intoday.in पंजीकृत कार्यालय: F-26, फरत पुर, कॉन्ट-एक्सप्रेस, नई दिल्ली-110001 फ़ोन: 0120-4807100, फ़ैक्स: 0120-4807172 ईमेल: investors@aaajtk.com	
सूचना	
एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के संचालक मंडल की सभा शुक्रवार दिनांक 13 अगस्त, 2021 को होनी निर्धारित हुई है, जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के स्टैंडअलोन एवं कन्सोलिडेटेड अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा।	
दिनांक: 29 जून, 2021	कूट टी.बी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड
स्थान: नई दिल्ली	आशीष समरवाल
	गुप हेड सेक्रेटरीयल एवं कंपनी सचिव
	सदस्यता नंबर: F4991
यह सूचना कंपनी वेबसाइट www.aajtak.intoday.in एवं स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी देखी जा सकती है।	

 रेल विकास निगम लिमिटेड	
Rail Vikas Nigam Limited	
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता	
(A Government of India Enterprise)	

31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष को लिए एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का सार

क्र.सं.	विवरण	एकल			समेकित		
		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2020
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से राजस्व	5,577.88	3,732.38	4,220.67	15,403.65	5,577.92	14,530.58
2	अन्य आय	72.34	132.45	56.58	326.75	67.36	254.68
3	कुल राजस्व	5,650.22	3,864.83	4,277.25	15,730.40	2,655.58	14,785.26
4	निवल लाभ/(हानि) कर पूर्व	413.28	342.21	248.74	1,155.67	990.83	382.04
5	निवल लाभ/(हानि) कर पश्चात	343.88	280.77	197.29	940.55	789.85	312.63
6	अपवादात्मक मदें	0	0	-	-	-	-
7	अवधि/पर ति लिए कुल समग्र आय/(हानि)	344.65	280.69	195.67	941.17	787.80	313.40
8	प्रदत्त-इक्विटी शेयर पूंजी	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02
9	(/रु 10 प्रति शेयर अंकित मूल्य)				2,880.56	2,414.75	
10	प्रति शेयर अर्जन (इंपीएस)						
10.1	मूल (रु)	1.65	1.35	0.95	4.51	3.79	1.50
10.2	तनुकृत (रु)	1.65	1.35	0.95	4.51	3.79	1.50

टिप्पणियां:

- उक्त एकल / समेकित वित्तीय परिणामों लेखा परीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षण और अनुरक्षा तथा निदेशक मंडल द्वारा 29.06.2021 को हुई द्वाग्वी बैठक में अनुमोदन किया गया तथा कंपनी के सामयिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किया गया है। सामयिक लेखा परीक्षकों ने राशोधन रोलैंड मत व्यक्त किया है।
- अंतिम तिमाही के आंकड़े पूर्ण वित्तीय वर्ष के संक्षेप में लेखापरिक्षित आंकड़ों तथा प्रकाशित वार्षिक के अंदाशन आंकड़ों से लेकर संचालित वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही की आंकड़ों के साथ संतुलन आंकड़े हैं।
- एकल / समेकित वित्तीय परिणाम कंपनीगत अभिविनियम, 2013 के अध्यादेश 133 के अधीन तथा अधिसूचित कंपनीगत (भारतीय लेखांकन मानकों) नियम, 2015 के विनियम 3 के साथ पठित और कंपनीगत (भारतीय लेखांकन मानकों) संशोधन नियम, 2016 तथा अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन व्यवहारादी और यथा लागू भीतिरों के तहत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुकूल तैयार किए गए हैं।
- कंपनी / समूह एक एकल प्रतिवेदनीय प्रचालन खंड 'रेल आसंरचना के विकास' में प्रचालन करती है। अतः इन्हें एकल 108-प्रचालन खंडों के अनुकूल कोई प्रत्यक्ष प्रचालन खंड नहीं है।
- 20 सितंबर 2019 को जारी करधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के रहत आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 115बीएए अंतर्बैधित की गई है, जो धरेलू कंपनियों को कुछ शर्तों के अधीन 61 अंशतः 2019 से प्रभावी पटी दरी पर कारपोरेट टेक्स का भुगतान करने के गूर परिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग करने हेतु खसम बनाती है।
- कंपनी ने 30 अक्टूबर 2020 को 10 /- प्रति इक्विटी शेयर अंकीक मूल्य पर प्रती इक्विटी शेयर रु 0.44 के अंशिम लानाग्रा की विकाशरणी की है।
- कंपनी ने कार्यस्थल से श्रमिकों के प्रवास को रोकने के दृष्टिकोण के तहत मानवीय आधार पर एक नीति तैयार की थी और इस आशय का एक परिचय जारी किया, जिसमें कोविड-19 के दौरान विनियम कार्यस्थलों पर श्रमिकों को सहायता, जैसे कि उनके परिवार, जीवन, रोगियों को दूसरी से अलग करने, अस्पतालों में पहुँचाने आदि की व्यवस्था है। अतः, प्रदान की गई और सतुप्राप्त 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में 50 करोड़ रु का प्रभावित किया गया। यद्यपि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान यह निष्पत्ति लिया गया कि इस खाते पर होने वाले खर्च को उद्देश्यरत को कलन करना होगा और इसलिए निम्नलिंक निकाला गया कि 2020-21 के दौरान यह निष्पत्ति प्रभाव कोल अनपेक्षित है किए है और कोई मध्यम से दीर्घकालिक जोखिम नहीं माना जाता है जो कंपनी के असुरक्ष स्थिति को खराब कर प्रभाव डालेगा। वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी को वित्तीय प्रदर्शन पर कोई खास असर नहीं पडा। इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड

पंजी. कार्या: टोल प्लाजा, मयूर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली-110091

टेली.: 0120-2516495, फैक्स: 0120-2516440

CIN. No: L45101DL1996PLC315772; वेबसाइट: www.ntbcl.com ईमेल: ntbcl@ntbcl.com

31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष का अंकेक्षित वित्तीय परिणाम

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	स्टैट्सोलॉन			समेकित		
		समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
		लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(i)	प्रचालनों से कुल आय	647.73	388.11	912.12	1358.74	2936.88	649.21
(ii)	कर से पूर्व प्रचालनों से लाभ/(हानि)	(793.13)	(986.40)	(514.47)	(4045.60)	(3105.09)	(780.13)
(iii)	जारी प्रचालनों से शुद्ध लाभ/(हानि)	(793.13)	(986.40)	(514.47)	(4045.60)	(3105.09)	(780.13)
(iv)	कुल न्यून न्यायक आय	(1.34)	0.42	1.28	(0.28)	1.43	(0.89)
(v)	अवधि हेतु कुल न्यायक आय	(794.67)	(985.98)	(513.19)	(4045.88)	(3103.66)	(781.02)
(vi)	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (रु. 10 प्रत्येक का अंकित मूल्य)	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50
(vii)	आरंभित (गत वर्ष के तुलन वर्ष में प्रदर्शित के अनुसार पुनर्मूलांकन आरंभित को छोड़कर)	एनए	एनए	एनए	12677.92	16723.83	एनए
(viii)	आय प्रति शेयर वैशेषिक वडाइयुवत	(0.43)	(0.53)	(0.28)	(2.17)	(1.67)	(0.42)
		(0.43)	(0.53)	(0.28)	(2.17)	(1.67)	(0.42)

टिप्पणीं तथा वित्तीय परिणाम :

- उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 27 जून, 2021 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये।
- 2012 में दाखिल जनहित लिटिगेशन (रियायत अनुबंध की वैधता को चुनौती देने तथा रियायत अनुबंध को रद्द करने के लिए) पर अपने फैसले तिथि 26 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कम्पनी को शुल्क की लेवी तथा संग्रहण से संबंधित दो विशिष्ट प्रावधानों को गैर-प्रचलनात्मक ढंगराने हुए उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रहण पर रोक लगाने का निर्देश दिया था लेकिन रियायत अनुबंध को निरस्त करने से इंकार कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप नोएडा-दिल्ली टोल रोड के उपयोगकर्ताओं से उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रहण 26 अक्टूबर, 2016 से निलम्बित रहा है जिसके लिये उक्त फैसले पर अंतिम स्थान लगाने के लिये भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दाखिल किया गया है।
- 11 नवम्बर, 2016 को अपने अंतिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम स्थान से इंकार कर दिया लेकिन, यह पता लगाने के लिये सीएजी की सहायता मांगी कि क्या रियायत अनुबंध की शर्तों के अनुसार परियोजना की कुल लागत कम्पनी द्वारा वसूल कर ली गयी है या नहीं। सीएजी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अर्जी दाखिल की।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सीएजी द्वारा जमा की गई रिपोर्ट मुहरबंद लिफाफे में रखी जाये। स्थिति लीव पेशेशन (एसएसबी) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय के लिये अभी भी लम्बित है। कंपनी ने नोएडा को भी अधिसूचित कर दिया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के साथ पठित माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला रियायत अनुबंध के अंतर्गत 'कानून में परिवर्तन' का गठन करता है तथा रियायत अनुबंध के सुधार के लिये एक विस्तृत प्रस्ताव जमा किय ताकि उसे उसी रूप में विधिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक हैसियत में स्थापित किया जाये जो कानून के उक्त परिवर्तन से पूर्व में था। चूँकि, नोएडा ने इस प्रस्ताव पर कार्य नहीं किया, कम्पनी ने नोएड के पास विवाचन को एक सूचना भेजी है।
- विवाचन अधिकरण का गठन कर लिया गया है तथा कंपनी एवं नोएडा दोनों ने अपने दावे तथा प्रति दावे जमा किये हैं। फिर, नोएडा विवाचन कार्यवाही की मैन्टनेबिलिटी पर धारा 16 के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल किया है लिये आदेश तिथि 10 अगस्त, 2018 द्वारा विवाचन अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया। विवाचन तथा कंसिलिएशन अधिनियम 1961 की धारा 34 के अंतर्गत आदेश तिथि 10 अगस्त, 2018 को चुनौती देते हुए नोएडा ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाचन कार्यवाहियों के लिए एक आवेदन दाखिल किया है। जिसे नोएडा को कोई राहत दिये बिना दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 31 जनवरी 2019 को निपटारा कर दिया गया है।12 अप्रैल, 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवाचन कार्यवाहियों पर रटे का निर्देश दिया। कम्पनी 31 जनवरी, 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित विवाचन कार्यवाहियों पर रटे को हटाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अर्जी दाखिल की।
- कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय का कार्यचलाप केवल तत्काल महत्व के मामले तक सीमित था। तत्काल महत्व के मामले का पत्र दाखिल करने के उपरांत 21 सितम्बर, 2020 05 अक्टूबर, 2020, 18 नवम्बर, 2020, 27 जनवरी, 2021, 16 मार्च, 2021 तथा 15 अप्रैल, 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसकी सुनवाई की गई। लेकिन, मामले पर कोई प्रभावकारी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई की अगली तिथि वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है।
- कम्पनी परियोजना की परस्परमौलिक के रखरखाव सहित रियायत अनुबंध के अनुसार अपने दायित्वों की पूरा कर रही है।
- कम्पनी ने गणना वर्ष 2016-17 तथा 2017 के लिए आय कर अधिनियम 1961 की धारा 143 (3) के अंतर्गत 27 दिसम्बर, 2019 को आयकर विभाग से गणना आदेश प्राप्त किया जिसमें क्रमश 357 करोड़ तथा 383.48 करोड़ रुपि की मांग की गई जो कम्पनी के साथ प्रारंभिक विवाद पर आधारित था जो मुख्य रूप से भूमि के मूल्यांकन तथा अन्य रिकवरीज की वसुली को जाने वाली विनिर्दिष्ट रिस्कों के परिासर्त के संबंध में के कारण थी। विभाग ने प्रथम स्तर के अपीलगत प्रधिकरण में अपील दाखिल किया। फेसलेस अपील स्थगित 2020 के माध्यम से शुरू की गई फेसलेस अपील के संक्रमण के साथ दोनों अपील नेप्ताल फेसलेस अपील सेन्टर (एसएसपीसी) में अंतरित कर दिया गया। 13 जनवरी, 2021 के अनुपालन की तिथि की निर्धारित करते हुए एसएसपीसी से एक सूचना प्राप्त हुई, लेकिन मामले को स्थगित कर दिया गया तथा उसके बाद कोई आगे सूचना प्राप्त नहीं हुई। पुनः 15 मई, 2021 को कम्पनी ने वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिये नेशनल फेसलेस एक्सप्रेन्ट सेन्टर से धारा 270 ए के अंतर्गत कारण बताओ सूचना प्राप्त की तथा कम्पनी ने दंड कार्रवाई को आस्थगित किया ता अनुरोध किया है, क्योंकि मैरिट्स पर अपील आय कर अधूतन (अपील) के समक्ष वर्तमान में लम्बित है।
- पूर्व वर्षों में आयकर विभाग रु. 1340.03 करोड़ की मांग की थी जो मुख्य रूप से भूमि के आवंटन के कारण टोल तथा राजस्व अनुदान से भविष्य में वसुली की जाने वाली विनिर्दिष्ट रिस्कों के परिासर्त की वृद्धि के साथ। 125 अप्रैल, 2018 को सीआईटी (ए) से प्राप्त आदेश के उपरांत कम्पनी ने सीआईटी (ए) के आदेश को प्रभावी करने के लिये एवाई 2006-07 से 2014-15 के संदर्भ में गणना अधिकारी (एओ), आय कर विभाग, नई दिल्ली से मांग सूचना तिथि 31 मार्च, 2018 प्राप्त की जिसके द्वारा रु. 10,893.30 करोड़ की अतिरिक्त मांग की गई। मांग में वृद्धि का मुख्य कारण भूमि के मूल्य में वृद्धि थी। कम्पनी ने आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएल) में स्थान आवेदन के साथ अपील दाखिल किया। 19 दिसम्बर, 2018, 2 जनवरी, 2019 तथा 6 फरवरी, 2019 की आईटीएली द्वारा मामले पर सुनवाई की गई तथा एससीएलटी के आदेश तिथि 15 अक्टूबर, 2018 के आधार पर आईटीएल्टी ने यथा स्थिति कायम रखने के निर्देशों के साथ मामले को अतिस्थितकाल के लिये स्थगित कर दिया।
- नवम्बर, 2018 में सीआईटी (ए) नोएडा ने एफवाई 2006-07 से 2014-15 के लिये दंड आदेश पारित किया जिसके आधार पर गणना अधिकारी, दिल्ली ने दिसम्बर, 2018 में रु. 10893.30 करोड़ का दंड लगाया। कम्पनी ने आयकर अधिकरण (आईटीएल) में स्थान आदेश के साथ अपील दाखिल की। इस मामले पर आईटीएली द्वारा 29 मार्च, 2019 तथा 3 मई, 2019 को मामले की सुनवाई की। आईटीएली ने यथा स्थिति बनाए रखने के निर्देश के साथ मामले का अतिस्थित काल के लिये स्थगित कर दिया।
- 21 मई, 2019 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी अधिाधिकरण (एनसीआरटी) के पास कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दाखिल शपथ पत्र के अनुसार 15 अक्टूबर, 2018 ("कट-ऑफ तिथि") को कट-ऑफ तिथि का प्रस्ताव किया गया। अपने आदेश तिथि 12 मार्च, 2020 के माध्यम से माननीय एनसीएलटी ने उसके संशोधनों के साथ नये बॉर्डर द्वारा जमा की गई संशोधित समाधान फ्रेमवर्क को अनुमोदित किया। उक्त आदेश में माननीय एनसीएलटी ने 15 अक्टूबर, 2018 को आयकर एंड एफएस तथा कम्पनी सहित उत्तरी समूह की कम्पनियों के लिये समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिये कट-ऑफ तिथि के रूप में स्वीकृति दी। तदनुसार, कम्पनी ने 15 अक्टूबर, 2018 ("कट-ऑफ तिथि") से उसकी सभी खण्णों तथा उधारों पर कोई व्याज उपचित नहीं की है।
- लेखा पुस्तकों का फिर से खुलना, सीरिअस फ्राउड जांच कार्यालय ("एसएफआईओ") तथा ग्राउन्ड वांटिंग इंडिया एलएलपी द्वारा फार्मलिक परीक्षा तथा अन्य विनिर्माणक एक्जैम्प्लो द्वारा जांच जो कुछ विशेष मामू को सत्ताओं के लिये प्रक्रिया के अधीन है, लेकिन, कम्पनी की वित्तीय विवरण तथा प्रचालनों पर उसका कोई प्रभाव नहीं है।
- 28 सितंबर, 2018 को नोएडा द्वारा कम्पनी को मांग का एक रिट सर्व किया गया क्योंकि डीपडूब्लि फ्लाईवे के नोएडा साइड में विज्ञापन से राजस्व के संदर्भ में कंपनी से रु. 3.69 करोड़ की मांग उठाई गई। कंपनी ने नोएडा से मांग के इस रिट को आस्थगित रखने का अनुरोध किया क्योंकि नोएडा द्वारा इस मामले में विवाचन में दिया गया है तथा इतना ही नहीं एनसीएलटी आदेश तिथि 15 अक्तूबर, 2018 को देखते हुए स्वीकृत मोटेरीरियम के कारण कम्पनी के विचरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
- दिसम्बर, 2018 तथा अप्रैल, 2019 के दौरान कम्पनी ने लाइसेंस शुल्क के एरिअर के लिये रु. 2.34 करोड़ तथा रु. 2.42 करोड़ की अतिरिक्त मांग प्राप्त की। कम्पनी ने नोएडा से इस मांग को आस्थगित रखने का अनुरोध किया है, क्योंकि इस मामले को नोएडा द्वारा आमीटेशन में भेजा गया है।
- नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी जिसे 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया था, भारत सरकार तथा रा.रा.शे. दिल्ली सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार 16 मार्च, 2020 से समस्त वाणिज्यिक तथा औद्योगिक प्रतिगनों के लिए तथा "लॉक-डाउन" एवं कर्च्यू लगाने और राज्य से बाहर गया भीतर यात्रा करने तथा कार्यालयों को बन्द करने के लिए विभिन्न उपाय/दिशा-निर्देश/निर्देश/आदेश जारी कर रही है।
- प्रारम्भ में 25 मार्च, 2020 से 21 दिनों के लिए लागूये गये राष्ट्रीयपी पूंजी लॉकडाउन तथा दुबारा 31 मई, 2020 तक बढ़ाये जाने के कारण और कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग से सीमित गतिविधियों को धीरे-धीरे पुनः खोलने के कारण प्रतिक्रियों एवं परिणामी प्रभावों से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रचालनों से आय (विज्ञापन हेतु स्वयं तथा कार्यालय स्थल से भाडे के रूप में आय) पर प्रभाव पड़ा है। ज्योंही व्यावसायिक गतिविधि शुरू हुई, देश में कोविड-19 का दूसरा चरण शुरू होगा तथा सभी आर्थिक गतिविधियों में गतिरोध उत्पन्न हो गया। पुनः चरणबद्ध तरीके से लॉक डाउन लगाया गया जिससे 2021-20 के वित्त वर्ष के दौरान भी प्रचालनों से कम्पनी के राजस्व पर प्रभाव पड़ सकता है। फिर भी, कम्पनी अपने व्यवसायों तथा वित्तीय स्थितियों पर होने वाले भविष्य के आर्थिक प्रभावों एवं परिवर्तनों पर गहनता से निगरानी करती रहेगी।
- इन कठिन अनिश्चित परिस्थितियों के बीच कम्पनी दृढ़ता का प्रदर्शन करती रहेगी तथा प्रबंधन का मानना है कि कम्पनी के ऐतिहासिक प्रदर्शन तथा तत्काल का विचार करते हुए कम्पनी कोविड-19 से जुड़ी चुाँचियों से निपटने में सक्षम होगी।
- कम्पनी ने अन्य कई पार्टियों की तरह लाइसेन्स शुल्क/राजस्व शेयर में शूट/कमी के लिये सभी संबंधित प्राधिकरणों को लिखा है तथा संबंधित प्राधिकरण से अपेक्षा है कि वे लाइसेन्स में राहत देने पर विचार करेगे लेकिन अंतिम प्रत्युत्तर को प्रत्याशा है।
- कंपनी के पास एक ही व्यवसाय खंड है तथा इसलिए खंड-वार जानकारी का विवरण लागू नहीं